निर्णय व इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. अपीलीय अधिकारी (कलक्टर), जयपुर

प्रकरण संख्या 61/2025 (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

प्रेमप्रकाश दुसाद, 160, गोम डिफेन्स कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, कलक्ट्रेट, जयपुर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005.

निर्णय   दिनांक 14.10.2025

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत दिनांक 13.06.2025 को राज्य लोक सूचना अधिकारी के नाम आवेदन मय शुल्क प्रेषित कर राज्य सरकार कार्मिक(क–3 शिका) विभाग से 20.02.2025 के उपरांत प्राप्त पत्रों की सत्यापित प्रतियां सहित अन्य सूचनाएं चाही गई थी। नियत समयावधि में चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील पेश कर वांछित सूचना दिलाने का अनुरोध किया है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, कलक्ट्रेट, जयपुर को अपील मीमों की फोटो प्रति प्रेषित की जाकर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई, टिप्पणी प्राप्त है। अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी उपस्थित है।
3. अपीलार्थी को सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. राज्य लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी क्रमांक 603 दिनांक 10.09.2025, जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की गई है के अनुसार कार्यालय के पत्रांक 436 दिनांक 01.07.2025 से अपीलार्थी को वांछित शुल्क जमा कराकर सूचना प्राप्त करने हेतु सूचित कर दिया गया था, अपीलार्थी द्वारा वांछित शुल्क जमा नहीं कराया गया है, अतः सूचना प्रेषित नहीं की गई है। अपीलार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रत्यर्थी से इस प्रकार का कोई पत्र/सूचना प्राप्त नहीं होना अवगत कराया है। अपीलार्थी को वांछित सूचना दी जा सकती है, फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।
5. राज्य लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को वांछित सूचना अविलम्ब निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।
7. निर्णय आज दिनांक **14.10.2025** को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner